15/04/2024

आकाशवाणी ईटानगर

18वीं लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले प्रवर्तन एजेंसियों ने रिकॉर्ड चार हजार छह सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह 2019 में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त किए गए तीन हजार चार सौ पचहत्तर करोड़ रुपये से अधिक की तीव्र वृद्धि है। आयोग ने कहा, पैतालीस फीसदी जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है। इसमें कहा गया है, व्यापक योजना, बड़े पैमाने पर सहयोग और एजेंसियों की ओर से एकीकृत निरोध कार्रवाई और सक्रिय नागरिक भागीदारी से जब्ती संभव हुई है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस साल एक मार्च से हर दिन एक सौ करोड़ रुपये की जब्ती हुई है।

0000000000000000000

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चुनाव के दौरान लोगों से हिंसा से परे रहने की अपील की। वेस्ट कामेंग जिले में चुनाव से जुड़े हिंसा में एक व्यक्ति की मौत पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू से तेजू में मिडिया कर्मियों के सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसी इस मामले की जांच कर रहा है और इस मामले पर उनका डी जी पी से बात हो चुकी है। गौरतलब है कि वेस्ट कामेंग जिले के तेंगा के निकट खागोक गांव के 14th माईल लेबर कैंप में चुनाव से जूड़े हिंसक झड़प में विगत शनिवार की आधीरात एक युवक, जिनकी पहचान तेंजिंग लिबासो के रुप में हुई है, कि मौत हो गई। श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है और चुनाव भी शांतिपूर्ण ही होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल कई समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्थित्व के लिए जाना जाता है और युवा हिंसा को छोड़ते हुए चुनाव को साकारात्मक तरीके से लेना चाहिए।

0000000000000000000

लोहित जिले के तेजू में एक चुनावी बैठक के बाद मिडिया कर्मियों से बात करते हुए असम मुख्यमंत्री हेमंत विस्व सरमा ने कहा कि अरुणाचल में स्थायी और अस्थायी रुप से रह रहे असामिया लोगों को असम सरकार पी आर सी प्रदान करेगा। श्री सरमा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने उन्हें अरुणाचल में रह रहे असामिया मूल के लोगों का पी आर सी मसले पर दिक्कतों का सामना किए जाने के बारे में अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि अरुणाचल में रह रहे असामिया लोगों को पी आर सी प्रदान किया जाएगा। श्री सरमा ने यह भी कहा कि अरुणाचल में रह रहे असामिया लोगों को असम सरकार से मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे।

00000000000000000000

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को राजभवन, ईटानगर में हिमाचल दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के. टी. परनाईक और राज्य की प्रथम महिला अनाघा परनाईक ने हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों के साथ बातचीत की, जो विभिन्न विभागों और एजेंसियों में अरुणाचल प्रदेश में सेवा दे रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि अन्य राज्यों के राज्य स्थापना दिवस मनाने से राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे लोगों से मिलने और उनका कुशलक्षेम जानने में सुविधा होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से लोगों में सद्भावना बढ़ती है।

00000000000000000000

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के इक्कीस सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कुछ गुटों द्वारा सोचे-समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों के बारे में चिंता व्यक्त की है। पत्र में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल न्यायपालिका की पवित्रता का अनादर करती हैं, बल्कि निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को भी सीधी चुनौती देती हैं, जिन्हें न्यायाधीशों ने बनाए रखने की शपथ ली है।

00000000000000000

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ड्रग एडिक्ट्स के माता-पिता और परिवार जनों से नशीली दवाओं के आदी के साथ एक मरीज की तरह व्यवहार करने, उन्हें समाज से अलग-थलग रुप में न देखने और न ही नीची निगाह से देखने की अपील की। तेजू में एक चुनावी बैठक के बाद मिडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने कहा कि ड्रग एडिक्शन का एक बीमारी की तरह इलाज कराया जाना चाहिए और उचित पूर्णवास भी प्रदान किया जाना चाहिए।

उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी ड्रग्स एडिक्ट के परिवार को इलाज के लिए वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। श्री खांडू ने सभी अभिभावको से एक जूट होकर नशे के खिलाफ लड़ने का अनुरोध भी किया।

0000000000000000000000

उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत उनतीस अप्रैल को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। न्यायालय ने ईडी का जवाब मिलने से पहले अंतरिम रिहाई की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत तेईस अप्रैल तक बढा दी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए। इस दौरान अदालत ने आबकारी नीति घोटाले की सहअभियुक्त के कविता की न्यायिक हिरासत भी तेईस अप्रैल तक बढ़ा दी। केजरीवाल को ईडी ने इक्कीस मार्च को गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था जहां उन्हें अट्ठाईस मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में उनकी हिरासत की अवधि एक अप्रैल और उसके बाद पंद्रह अप्रैल तक बढा दी गई थी।

00000000000000000